पत्रांक 3039 दि0 26/10/2022

दिनांक–11.10.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की राज्य स्तरीय बैठक में दिए गए निदेश।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक– 11.10.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की उपस्थिति में जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारियों, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों एवं जिलों के नोडल पदाधिकारियों के साथ की गई।

बैठक में समीक्षोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं दिए गए निदेश निम्नवत् हैः–

I. बैठक में सर्वप्रथम बन्दोबस्त पदाधिकारियों को दिनांक– 22.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में हुई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की समीक्षात्मक बैठक में राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य से सम्बन्धित लिए गए निर्णय एवं प्राप्त निदेश से सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। उक्त के आलोक में बताया गया कि उच्च स्तरीय निर्णय के आलोक में अगले दो वर्षों में 2024 तक सम्पूर्ण राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण किया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के प्रत्येक अंचल में एक सर्वेक्षण शिविर गठित किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में 01 शिविर प्रभारी के साथ प्रत्येक अंचल में 02 कानूनगो, 02 लिपिक एवं अंचल में स्थित कुल ग्रामों में प्रत्येक चार ग्रामों पर एक अमीन को पदस्थापित किया जाएगा। इसके लिए पूर्व से स्वीकृत 6325 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के पद के अतिरिक्त कुल 6920 नये पद स्वीकृत किए जाऐंगे और उनके नियोजन एवं प्रशिक्षण के पश्चात् फरवरी–2023 से राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस आलोक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्पष्ट किया गया कि नवनियोजन एवं नई कार्य–योजना के लागू होने के पूर्व आवश्यक है कि पूर्व से 89 अंचलों के 4989 राजस्व ग्रामों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य को फरवरी–मार्च–2023 तक पूर्ण कर लिया जाए एवं दिसम्बर–2022 तक बड़े–बड़े राजस्व ग्रामों को छोड़कर शेष सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख को निश्चित रूप से प्रकाशित कर दिया जाए।

II. जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिला स्तर पर प्रथम चरण अन्तर्गत अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर की तुलनात्मक प्रगति निम्नवत् पाई गईः–

COMPARATIVE REPORT OF AUGUST, SEPTEMBER & OCTOBER -2022 PHASE-1

SL.NO.	District	Mauza	Boundary Updated Map's Supply			Kishtwaar (Mauza)			Khanapuri (Mauza)			Form-6 Entry in Software (Completed Mauza)			LPM & Form-7 Distribution (Mauza)			Darft Publication Form-12 (Mauza) (10%)			Final Publication Form-20 (Mauza)(5%)		
			Aug. 1st week	Sep. 1st week	Oct. 1st week	Aug. 1st week	Sep. 1st week	Oct. 1st week	Aug. 1st week	Sep. 1st week	Oct. 1st week	Aug. 1st week	Sep. 1st week	Oct. 1st week	Aug. 1st week	Sep. 1st week	Oct. 1st week	Aug. 1st week	Sep. 1st week	Oct. 1st week	Aug. 1st week	Sep. 1st week	Oct. 1st week
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ARARIA	144	144	144	144	105	112	142	26	29	46	7	21	34	4	14	19	0	1	1	0	0	0
2	ARWAL	314	82	103	152	72	80	120	5	10	34	4	4	6	3	5	6	0	2	2	0	0	0
3	BANKA	309	309	309	309	303	303	303	45	60	85	30	42	55	28	41	53	9	19	25	0	0	0
4	BEGUSARAI	440	408	408	408	329	329	329	133	146	165	88	106	122	85	101	116	67	78	90	42	45	49
5	JAMUI	155	155	155	155	132	137	148	27	32	36	12	14	19	9	10	19	4	6	9	0	0	0
6	JEHANABAD	240	217	236	239	110	142	157	15	27	41	9	9	13	6	7	11	1	1	3	0	0	0
7	KATIHAR	185	171	171	171	150	161	161	38	41	53	21	25	35	21	22	35	3	4	12	0	0	0
8	KHAGARIA	163	159	163	163	96	129	154	11	7	11	5	5	7	0	1	3	0	0	0	0	0	0
9	KISHANGANJ	460	413	416	425	192	253	270	6	20	28	2	3	11	2	3	8	0	0	0	0	0	0
10	LAKHISARAI	412	314	343	343	200	230	238	77	79	81	61	63	63	47	48	55	26	33	35	18	19	19
11	MADHEPURA	114	114	114	114	89	94	102	33	33	34	22	25	29	15	23	26	6	10	12	0	0	0
12	MUNGER	313	310	310	310	311	311	311	165	181	199	107	115	130	99	111	122	71	77	80	25	25	36
13	NALANDA	396	396	396	396	381	384	386	67	94	103	55	71	90	48	63	82	18	23	30	4	5	5
14	PURNIA	72	72	72	72	67	67	68	32	36	40	16	21	28	14	18	25	5	10	10	0	1	1
15	SAHARSA	122	122	122	122	122	122	122	10	11	11	2	8	9	0	6	8	0	0	0	0	0	0
16	SHEIKHPURA	284	284	284	284	284	284	284	104	110	129	94	99	118	86	98	112	60	65	79	37	42	46
17	SHEOHAR	80	80	80	80	73	74	80	12	13	20	4	6	8	2	2	4	0	2	2	0	0	0
18	SITAMARHI	253	151	154	154	132	139	140	13	22	45	6	9	14	5	8	12	0	5	6	0	0	0
19	SUPAUL	252	252	252	252	252	252	252	49	54	58	36	43	50	30	35	43	9	12	25	2	2	2
20	W. CHAMPARAN	281	281	281	281	281	281	281	83	97	104	44	52	58	28	44	55	18	23	29	2	2	2
Total:-		4989	4434	4513	4574	3681	3884	4048	951	1102	1323	625	741	899	532	660	814	297	371	450	130	141	160

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर पृच्छा की गई कि सितंबर–2022 से अक्टूबर–2022 तक की प्रगति की समीक्षा से स्पष्ट है कि खानापुरी को निष्पादित किए जाने में शिविरों द्वारा काफी समय लगाया जा रहा है और खानापुरी के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि 60 दिन के स्थान पर अधिकांश ग्रामों में इससे अधिक दिनों में खानापुरी का कार्य निष्पादित किया जा रहा है। साथ ही पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिसंबर–2022 तक सभी 4989 ग्रामों के प्रारूप अधिकार–अभिलेख के प्रकाशन के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अब तक मात्र 450 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार–अभिलेख का प्रकाशन किया जाना अत्यन्त खेदजनक है।

III. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की जिला स्तरीय प्रगति में धीमी गति के सम्बन्ध में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रारूप अधिकार–अभिलेख एवं अन्तिम अधिकार–अभिलेख के प्रकाशन में निम्नांकित कारणों से विलम्ब हो रहा है:–

(i) प्रारूप अधिकार–अभिलेख को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक प्रपत्र– 6 (खेसरा पंजी) में की जाने वाली प्रविष्टियों को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित करने में काफी समय लगता है, जिस कारण ज्यादा खेसरों वाले ग्राम का प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशित करने में काफी समय लग रहा है।

(ii) कार्यरत विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो के राजस्व सम्बन्धी ज्ञान में कमी के कारण रैयतों द्वारा दिए गए कागजातों के आधार पर स्वामित्व निर्धारण करने की प्रक्रिया में कठिनाई होती है।

(iii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी विशेषकर IIC के पास अभी भी लम्बित मानचित्रों की संख्या बहुत अधिक है, जिस कारण कार्य की गति प्रभावित हो रही है। साथ ही आबादी वाले क्षेत्रों का मानचित्र देने में भी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के स्तर से ज्यादा समय लगाया जा रहा है, जिस कारण पूरे ग्राम के प्रारूप अधिकार–अभिलेख के प्रकाशन में विलंब रहा है।

(iv) बन्दोबस्त कार्यालय/शिविर कार्यालय में बिजली एवं नेट सम्बन्धी समस्या के कारण L.P.M निर्गत करने में बाधा आती है एवं प्रारूप अधिकार–अभिलेख के प्रकाशन में विलंब हो रहा है।

(v) कुछ जिलों यथा बेगूसराय में कैडेस्ट्रल सर्वे के उपरान्त हुए मिनी सर्वे से सम्बन्धित कागजात रैयतों द्वारा उपस्थापित किए जाते है, जिस पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

(vi) अनेक ग्रामों में रैयतों द्वारा विभिन्न खेसरों का मौखिक बदलैन किए जाने एवं बदलैन सम्बन्धी लिखित, साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण स्वामित्व निर्धारण सम्बन्धी निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है एवं इस पर निदेशालय स्तर से मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्कता है।

(vii) मधेपुरा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रपत्र–19 दिए गए पुराने नए खाता, खेसरा की प्रविष्टियों का मिलान प्रपत्र–5–6 से करने एवं प्रपत्र–20 को संधारित करने में अनेक विषमताएँ परिलक्षित होती हैं।

(viii) प्रारूप अधिकार–अभिलेख प्रकाशन के पश्चात् की गई लगान निर्धारण की कार्रवाई और उसके बाद विश्रांति के द्वितीय चरण में पूर्व के प्रक्रमों में अमीन द्वारा की गई छोटी–छोटी त्रुटियों के निवारण में बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से लॉक को खोलने की सुविधा नहीं रहने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और निदेशालय स्तर से लॉक हटाने की प्रक्रिया में विलंब होता है। अतः इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त पदाधिकारियों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

(ix) कतिपय बन्दोबस्त पदाधिकारियों यथा पूर्णियाँ द्वारा 01 ग्राम, शिवहर द्वारा 03 ग्राम का लॉक हटाने का अनुरोध किया गया, जबकि सुपौल द्वारा भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में पाँच–छः ग्रामों के मानचित्र अपलोड नहीं होने तथा अररिया द्वारा ग्राम का नाम सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं होने के बारे में बताया गया। बांका द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ को भटकुर फुल्लीडुम्मर भू–सर्वेक्षण में दो मौजा के रूप में दर्ज है, जबकि वह एक ही मौजा है। पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि तीन ग्रामों का प्रपत्र–6 तैयार हो गया है, किन्तु LPM Generate नहीं हो पा रहा है।

(x) R2R सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में अररिया के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिन कर्मियों द्वारा त्याग–पत्र दे दिया गया है अथवा जिन्हें हटा दिया गया है, उनके नाम भी R2R सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित रहे हैं, सुपौल के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा स्थानान्तरित निम्नवर्गीय लिपिक, श्री रमेश कुमार सिंह के समस्तीपुर स्थानान्तरित होने के पश्चात् भी R2R सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होने का मामला उठाया। नालंदा के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण अमीन, जया कश्यप को पुर्नबहाल किया गया है, किन्तु R2R सॉफ्टवेयर में उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है।

IV. बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित की गई उक्त समस्याओं के संबंध में निम्नांकित निदेश दिए गए:–

1. निदेशित किया गया कि साप्ताहिक MIS प्रतिवेदन एवं Gap Analysis के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा खानापुरी का कार्य निर्धारित अवधि से बहुत अधिक अवधि में किया जा रहा है, चूंकि खानापुरी किए जाने के साथ–साथ प्रपत्र–6 को साथ–साथ संधारित करते जाना है। अतः इस आलोक में प्रपत्र–6 की प्रविष्टियों को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित करने में अधिक समय लगने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

2. बन्दोबस्त पदाधिकारियों को स्मारित किया गया कि कार्यरत विशेष सर्वेक्षण स0ब0प0 एवं कानूनगो के कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने एवं प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न जिला एवं राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठकों में यह निदेश दिया गया है कि कानूनगो द्वारा संधारित याद्दाश्त पंजी एवं स0ब0प0 तथा कानूनगो द्वारा पारित आदेशों का जिला स्तर पर नियमित अवलोकन किया जाए एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

3. बैठक में उपस्थित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया कि आबादी वाले क्षेत्रों एवं सभी लंबित मानचित्रों की आपूर्ति यथाशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि यदि एजेंसियों के द्वारा ससमय मानचित्रों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के कार्य दिवस की क्षति होती है तो उसके लिए एजेंसी को उत्तरदायी मानते हुए, उनको भुगतान की जाने वाली राशि में कटौती की जाएगी।

बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अमीनों का एजेंसी के कर्मियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु हरसंभव प्रयास किया जाए एवं यह प्रयास किया जाय कि शिविर के कर्मी एजेंसी के साथ बैठकर किसी भी समस्या का समाधान तत्काल करें।

4. बन्दोबस्त कार्यालय एवं बिजली एवं इंटरनेट की समस्या दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार जनरेटर एवं इंटरनेट के वैकल्पिक उपायों का उपयोग किया जाए। शिविर स्तर पर L.P.M मुद्रण की कठिनाई को दूर करने के लिए जिला स्तर पर बन्दोबस्त कार्यालयों में बड़ी मशीन अधिष्ठापित कर शिविरों के L.P.M मुद्रण का कार्य जिला स्तर से किया जाए। इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना से आवंटन की मांग कर ली जाए।

5. विशेष सर्वेक्षण कार्य में अधिकार–अभिलेख के निर्माण के क्रम में जिन बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उन्हें निदेशालय स्तर से यथाशीघ्र मार्गदर्शन तैयार कर जिलों को उपलब्ध करा दिया जाए।

6. प्रपत्र–19 के संबंध में स्पष्ट किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कार्य में प्रपत्र–20 में तैयार किये जाने वाले अंतिम अधिकार–अभिलेख की प्रविष्टियों में पुराने खाता एवं खेसरा को प्रदर्शित नहीं किया जाता है और नये खेसरे से संबंधित प्रविष्टियाँ प्रपत्र–19 के अनुसार ही होती है। अतः प्रपत्र–19 की प्रविष्टियों के आधार पर प्रपत्र–20 के प्रकाशन को लंबित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में ग्राम के नाम में त्रुटि L.P.M Generation की समस्या एवं अन्य समस्याओं के संबंध में निदेशित किया गया कि सर्वप्रथम किसी भी त्रुटि के सुधार एवं लॉक को हटाये जाने के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए एवं यदि किसी कर्मी द्वारा गलती की गई है तो उससे कारण पृच्छा भी की जाए और कारणों की समीक्षा पर आवश्यक कार्रवाई करना भी सुनिश्चित किया जाए। अंतिम प्रकाशन के पूर्व त्रुटि सुधार करने एवं लॉक को हटाने के संबंध में बन्दोबस्त पदाधिकारी को प्रदान की जाने वाले शक्तियों के संबंध में समीक्षोपरांत निर्णय लिया जाएगा।

8. बैठक में उपस्थित आई0 टी0 सेल के कर्मियों को निदेशित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त कर प्रतिवेदन के अनुसार R2R सॉफ्टवेयर को यथाशीघ्र अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए।

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के अप्रवासी रैयत जो छठ एवं दीपावली के पर्व में अपने गांव आते है, उनसे भूमि संबंधी कागजात आदि को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण कर्मी क्षेत्र में उपस्थित रहे। इस आलोक में निदेशित किया गया कि सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को छठ एवं दीपावली के लिए घोषित अवकाश के अतिरिक्त और कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। यह भी प्रयास किया जाए कि अवकाश के दिन भी विशेष सर्वेक्षण कर्मी क्षेत्र में उपस्थित रहे ताकि अधिक–से–अधिक रैयतों से भूमि के कागजात आदि को प्राप्त किया जा सके और खानापुरी के कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जा सके।

अंत में सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि निदेशालय स्तर पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि क्षेत्र में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य के दौरान विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा आम रैयतों से अनुचित रूप से राशि की मांग की जा रही है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का यह कृत्य अत्यंत ही खेदजनक है एवं इस संबंध में प्राप्त सूचनाओं एवं साक्ष्यों को तुरंत सत्यापित कर आवश्यक विधिसम्मत् कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। यह भी निदेशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिसंबर–2022 तक दस हजार से अधिक खेसरों वाले ग्रामों को छोड़कर शेष सभी ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए एवं पाँच हजार से कम खेसरों वाले सभी ग्रामों का अंतिम अधिकार–अभिलेख प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09/2022.....3039.....**पटना, दिनांकः** 26/10/2022

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09/2022.....3039.....**पटना, दिनांकः** 26/10/2022

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09/2022.....3039.....**पटना, दिनांकः** 26/10/2022

प्रतिलिपि :– जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09/2022.....3039.....**पटना, दिनांकः** 26/10/2022

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03 / भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09 / 2022.........3039.........**पटना, दिनांकः** 26/10/2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03 / भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09 / 2022.........3039.........**पटना, दिनांकः** 26/10/2022

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2022\Birendra kumar_Aso\Proceeding\Proceeding_11.10.2022 S.o.docx